

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-08/ज०सं०(नि०) बाह्य-09-10/2014...../राँची, दिनांक -

संकल्प

श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाऊसिंग कॉरपोरेशन लि० के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5482 दिनांक- 05.12.2016 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी० के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसके संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा, (भा०प्र०से०, से०नि०) नियुक्त थे।

2. पूर्व नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा, (भा०प्र०से०, से०नि०) का कार्यकाल समाप्त हो जाने एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 11393 दिनांक- 14.11.2017 द्वारा श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) को जल संसाधन विभाग का नया जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण श्री रविशंकर प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5482 दिनांक- 05.12.2016 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति तथा श्री शुभेन्द्र झा, (भा०प्र०से०, से०नि०) द्वारा वापस की गई संचिका श्री ददन चौबे, (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए०डिविजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक -/राँची, दिनांक-


प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति एवं जाँच संचिका (मूल में) के साथ श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए०डिविजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 5248...../राँची, दिनांक- 11-12-17

प्रतिलिपि : प्रबंधक (कार्मिक) पुलिस हाऊसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री रविशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, प्लैट नं०-GD, ब्लॉक-D, रामदेव विहार सोसाईटी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।